

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: आदेश ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4/10/2024

क्रमांक एफ 3-3/2024/25-1 :: श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर, अटल नगर (मुख्यालय स्तर पर शाखा प्रभारी) के द्वारा प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन हेतु कोंचिंग संस्थाओं की चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं एवं पालकों से संस्थानों के अध्यापन कार्य को लेकर शिकायत प्राप्त हो रही है और छात्र-छात्राओं द्वारा आंदोलन किया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई, उनको सौंपे गये विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी पाया गया है।

2/ श्री सेठ का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

3/ अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर, अटल नगर (मुख्यालय स्तर पर शाखा प्रभारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/ निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.क.चंचलानी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-3/2024/25-1

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4/10/2024

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. स्टॉफ आफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

//2//

4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.
 5. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर।
 6. कलेक्टर, जिला- रायपुर/बस्तर (छ.ग.)
 7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- रायपुर/बस्तर (छ.ग.)
 8. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर/बस्तर (छ.ग.),
 9. संबंधित श्री प्रज्ञान सेठ, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर, अटल नगर (मुख्यालय स्तर पर शाखा प्रभारी)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. आदेश फोल्डर।

(Handwritten signature)
04/10/24

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति विकास विभाग

६